<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में</u>

विशेष न्यायालय(एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण), बीकानेर

प्रकरण का शीर्षक	-	राजस्थान राज्य बनाम दीवान सिंह
प्रकरण संख्या	-	65/2026
आदेश दिनाँक	-	07.07.2026
आदेश का प्रकार	-	जमानत आवेदन अस्वीकृत

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त कर सकता हैः-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बीकानेर।

<u>विधिक सेवा प्राधिकरण का पताः</u>

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
नवीन जिला न्यायालय परिसर के सामने,
बीकानेर।
फोन - 0151-2970623

विशेष न्यायालय(एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी	::	प्रमोद बंसल, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध(जमानत) प्रकरण सं.	::	65/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	::	122/2025, पुलिस थाना, लूनकरणसर, बीकानेर। अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट

दीवान सिंह पुत्र मदन सिंह, निवासी गाँव चिराणा, पुलिस थाना गोढडा, जिला झुन्झुनु।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये विद्वान अपर लोक अभियोजक।

.....अप्रार्थी

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थित:

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	::	विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल शर्मा
राज्य की ओर से	::	विद्वान अपर लोक अभियोजक

आदेश **दिनांक 07.07.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त **दीवान सिंह** की ओर से यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान् अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गयी। पत्रावली सीगे से तलब की गई।

02. प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.2025 को आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी अनूप सिंह, उ.नि. मय अन्य मुलाजमान के साथ गश्त करते भारत पेट्रोलियम पंप के सामने कालू रोड़ पर पहुंचा तो कीकर के पेड़ों के नीचे एक शख्स दिखाई दिया, जिसने सफेद शर्ट व नीले रंग की जिन्स पहनी थी तथा अपने पास तीन पीठू बैग रखे

थे। पुलिस जीप को देखकर अचानक खड़ा हो गया तथा इधर-उधर देखने लगा, जिसके संदिग्ध प्रतीत होने पर उक्त शख्स से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम दीवान सिंह बताया, जिसको यहां खड़े रहने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा हड़बड़ा कर इधर-उधर की बातें करने लगा। जिसे पुनः तसल्ली देकर उसके पास पड़े बैगों के संबंध में पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया व घबराने लगा। जिस कारण उक्त शख्स दीवान सिंह के पास कोई अवैधानिक वस्तु होने की पूर्ण संभावना होने पर उक्त शख्स के कब्जेशुदा बैगों की तलाशी लेनी शुरू की गयी तो पहले बैग में सफेद टेप से चेपायुक्त किए गए कुल 11 पैकेट थे, जिन्हें चैक करने पर हर पैकेट में डंठलनुमा पदार्थ भरा हुआ था। दूसरे बैग में सफेद टेप से चेपायुक्त किए गए कुल 12 पैकेट थे, जिन्हें चैक करने पर हर पैकेट में डंठलनुमा पदार्थ भरा हुआ था। तीसरे बैग में सफेद टेप से चेपायुक्त किए गए कुल 12 पैकेट थे, जिन्हें चैक करने पर हर पैकेट में डंठलनुमा पदार्थ भरा हुआ था। इस प्रकार उक्त तीनों बैगों में हल्के काले रंग का डंठलनुमा पदार्थ भरा हुआ था, जिसे देखा व सूंघा तो उक्त पदार्थ मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। उक्त शख्स के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा का लाईसेंस परमिट नहीं होना पाया गया। उक्त शख्स के पास पाए गए प्रथम बैग में मिले 11 पैकेट अवैध गांजा का कुल वजन 13.540 किलोग्राम होना पाया गया एवं दूसरे बैग में मिले 12 पैकेट अवैध गांजा का कुल वजन 15 किलोग्राम होना पाया गया तथा तीसरे बैग में मिले 12 पैकेट अवैध गांजा का कुल वजन 15.400 किलोग्राम होना पाया गया। यानि कुल 35 पैकेट्स में अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 43.940 किलोग्राम पाया गया।.....वगैराह वगैराह

03. उक्त फर्द जब्ती के आधार पर पुलिस थाना लूणकरणसर, बीकानेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2025 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज हुई और बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त दीवान सिंह की हद तक उसके विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र दिनांक 07.11.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हस्तगत प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है।

04. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

05. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। स्वतंत्र गवाहान को बरामदगी के समय नहीं बुलाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त केवल कालू रोड पर बस की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति बैग छोड़कर भाग गया, किन्तु पुलिस ने झूठी एवं मनगढ़ंत बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त से दर्शाई है। कथित बरामदगी उपनिरीक्षक अनुपसिंह द्वारा की गई, जबकि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुसार उनके द्वारा उक्त कार्यवाही किए जाने की विधिक क्षमता का कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया। पी डब्ल्यू-1 अनुपसिंह ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि फर्द बरामदगी, धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस, गिरफ्तारी एवं अन्य दस्तावेजों के समय में विसंगतियाँ हैं तथा दस्तावेज लैपटॉप पर अलग-अलग समय में तैयार किए गए, जिससे सम्पूर्ण बरामदगी कार्यवाही की वैधता संदेहास्पद हो जाती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

06. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गम्भीर प्रकृत्ति का आरोप है। अंत में अपराध की प्रकृत्ति एवं गम्भीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. हमने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>(क) प्रकरण का विवरणः-</u>

एफ.आई.आर. न. व दिनाँक	थाना जिला और राज्य	धारा	निर्धारित अधिकतम दण्ड
122/2025	लूनकरणसर, बीकानेर	8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट	20 वर्ष का कारावास

<u>(ख) अभिरक्षा एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनाः-</u>

गिरफ्तारी की दिनाँक	अभिरक्षा में व्यतीत कुल अवधि
13.05.2025	01 वर्ष 01 माह 25 दिवस

(ग) मुकदमे की स्थितिः-

प्रकरण की वर्तमान अवस्था जाँच/चार्जशीट/संज्ञान/ आरोप/निर्धारण/विचारण	आरोप पत्र में उल्लेखित कुल गवाह संख्या	अभियोजन पक्ष के परीक्षित गवाहों की संख्या
चार्जशीट	---	---

(घ) आपराधिक पूर्ववृत्त प्रार्थी/अभियुक्त

क्र.सं.	मु.न.	धारा	थाना	नतीजा पुलिस	निर्णय न्यायालय
...शून्य...					

(ड) पूर्व जमानत आवेदनः-

न्यायालय का नाम	प्रकरण सं.	प्रकरण का परिणाम
न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, अपरे सेशन न्यायाधीश सं. 01, बीकानेर	1828/2025 दिनाँक 14.11.2025	अस्वीकार

(च) बाध्यकारी कार्यवाहीः-

क्या गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया	क्या उद्घोषित वारण्ट जारी किया गया
---	---

08. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के सचतेन्य कब्जा से अभिकथित अवैध मादक पदार्थ गांजा तीन पीठू बैग में से प्रथम पीठू बैग में 11 पैकेटों में कुल 13.540 किलोग्राम, द्वितीय पीठू बैग में 12 पैकेट में कुल 15 किलोग्राम तथा तृतीय पीठू बैग में 12 पैकेट में कुल 15.400 किलोग्राम कुल 25 पैकेटों में कुल शुद्ध वजन 43.940 किलोग्राम बिना वैध अनुज्ञा के बरामद प्रथम दृष्टया दर्शित हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. के तहत आरोप विरिचत किए जाकर साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर केवल मात्र पी डब्ल्यू 1 अनुपसिंह जब्ती अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई है, जो प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सकारात्मक रही है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध होना शेष है।

09. पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 14.11.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाकर अभियोजन साक्ष्य में अब तक केवल जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-1 अनुप सिंह की साक्ष्य लेखबद्ध हुई है। उक्त परिस्थितियों से हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्विक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है।

10. अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गम्भीरता एवं मादक पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त **दीवान सिंह** पुत्र मदन सिंह, निवासी गाँव चिराणा, पुलिस थाना गोढडा, जिला झुन्झुनु की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। संबंधित लिपिक को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश की सॉफ्ट कॉपी जरिए मेल संबंधित जेल को अविलम्ब प्रेषित की जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5/पी.आई./2025 दिनाँक 12.03.2025 की पालना में एक कवर शीट भी प्रार्थी/अभियुक्त की सूचनार्थ संबंधित जेल को मेल की जाए।

(प्रमोद बंसल)
विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण),
बीकानेर

12. आदेश आज दिनांक 07.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद बंसल)
विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण),
बीकानेर